कार्यालय नगरपालिका अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- 4574

दिनांकः- 16/12/22

अकाल एकेडमी,

59 जीबी, रामसिंहपुर।

विषय :- अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

आपके भवन अकाल एकेडमी, 59जीबी, रामसिहंपुर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्ते :-

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यता अनापति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष मे कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि मे रिफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशो का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य मे कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है। तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने की स्थिति मे यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति मे रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
11. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
12. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

HEADMISTRESS
AKAL ACADEMY
59 G.B.RAMSINGHPUR (RAJ.)

(लाजपत बिश्नोई)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका अनूपगढ़